प्रारूप -11

परियोजना का नाम :– **माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में बसोला–बगडियालगॉव–समया मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। लम्बाई 10.000 कि०मी०**

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत शा०सं० 5377/(1)/III (2)/12-13 (मु०म०घो०)/2012 दिनांक 14.01.2013 द्वारा 10 कि०मी० हेतु ₹ 126.00 लाख की प्राप्त हुई है। (शासनादेश की छाया प्रति संलग्न है) यह मार्ग पी०सी०टी०टी०बी०डी० मोटर मार्ग के कि०मी० 48.000 से आरम्भ होकर 1. ग्राम समया वल्ली 2. समया पल्ली 3. डांग 4. बसोला 5. डांडांखील से होते हुये 6. बगडियाल गॉव को जोडेगा। उक्त ग्रामों की आबादी क्रमशः 75, 98, 148, 243 87 व 272 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 923 जनसंख्या लाभान्वित होगी जो कि अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुडी है। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाये पानी, लकडी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती है, मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर व पाल्यों को अधिक समय दे पायेंगे, जिससे की पाल्यों का लालन पालन तथा पठन पठान ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो जायेगी। गांव मे चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नये अवसर मिलगें। ग्रामवासियों द्वारा अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

यह समरेखण आरक्षित वनभूमि, सिविल भूमि (राज्य भूमि) तथा नापभूमि से होकर गुजरता है, अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

इस मार्ग के समरेखण में नापभूमि **7.824** है०, सिविल सोयम भूमि **2.250** है०, आरक्षित वन भूमि **0.882** है० के अतिरिक्त वन पंचायत भूमि **शून्य** है० प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वनभूमि हस्तानान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेशित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 02 को निरस्त कर समरेखण नं0 01 को अनुमोदित किया जाता है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)	बैजरो (गढ़वाल)	बैजरो (गढ़वाल)

संस्तुति
अभि०